भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3962

जिसका उत्तर 12 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

उपचारित खदान जल का उपयोग

3962. श्रीमती अपराजिता सारंगी:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दो वित्त वर्षों के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा उत्पन्न, उपचारित और तत्पश्चात् निस्तारित या उपयोग किए गए खदान जल की कुल मात्रा कितनी है;

(ख) कोयला धारक क्षेत्रों में स्थित ग्रामीण समुदायों को घरेलू, पेयजल और कृषि सिंचाई के उद्देश्यों के लिए उपचारित खदान जल की आपूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या परित्यक्त खदान के गड्ढ़ों का स्थायी जलाशयों के रूप में या मत्स्यपालन के लिए उपयोग करने हेतु राज्य सरकारों के साथ कोई दिशा-निर्देश या सहयोगात्मक ढांचा (जैसे समझौता ज्ञापन) स्थापित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो यह गारंटी देने के लिए क्या मजबूत निगरानी तंत्र मौजूद हैं कि उपचारित खदान जल सामुदायिक वितरण से पहले पर्यावरणीय सुरक्षा मानदंडों का सख्ती से पालन करता है?

उत्तर

कोयला एवं खान राज्य मंत्री

(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क) : पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान कोयला और लिग्नाइट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) द्वारा उत्पन्न, संशोधित और बाद में उपयोग किए गए अथवा डिस्चार्ज किए गए (बिना अवशोधित किए) खान जल की कुल मात्रा [लाख किलो लीटर (एलकेएल में)] निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	उत्पन्न खान जल (एलकेएल)	अवशोधित खान जल (एलकेएल)	खान जल का उपयोग (एलकेएल)	डिस्चार्ज खान जल (एलकेएल)
2024-25	8438.57	7510.33	7510.33	928.24
2025-26	8398.59	8009.87	8009.87	388.72

(ख) : कोयला और लिग्नाइट पीएसयू ने घरेलू, पेयजल और कृषि सिंचाई प्रयोजनों के लिए कोयला और लिग्नाइट धारक क्षेत्रों में ग्रामीण समुदायों को अवशोधित खान जल की आपूर्ति करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इनमें घरेलू, पेयजल और सिंचाई उद्देश्यों के लिए आस-पास के गांवों में आपूर्ति के लिए अवशोधित खान जल उपलब्ध कराने के लिए प्रेशर फिल्टर्स, रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) संयंत्र, बहिस्राव शोधन संयंत्र (ईटीपी), अवसादन तालाब और भंडारण जलाशय जैसी खान जल अवशोधन सुविधाओं की स्थापना शामिल हैं।

(ग) : कोयला और लिग्नाइट पीएसयू खान बंद करने की अनुमोदित योजनाओं और लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार, जहां कहीं तकनीकी रूप से व्यवहार्य और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त हो, परित्यक्त और पुनरूद्धारित माइन पिट्स का उपयोग जल भंडारण जलाशयों के रूप में अथवा मात्स्यिकी/जलकृषि के लिए करते हैं।

(घ) : यह सुनिश्चित करने के लिए कि समुदायों को आपूर्ति किया जाने वाला अवशोधित खान जल विनिर्दिष्ट पर्यावरण मानकों के अनुरूप हो, कोयला और लिग्नाइट पीएसयू ने एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित किया है जिसमें आपूर्ति से पहले उपयुक्त अवशोधन प्रणाली से खान जल को अवशोधन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) के विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षण और अंशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के माध्यम से जल की गुणवत्ता की समय-समय पर सैंपलिंग और परीक्षण, खान से निकलने वाले जल की निरंतर/ऑनलाइन मॉनिटरिंग, पीएसयू और विनियामक प्राधिकरणों द्वारा नियमित जांच और नियमों के पालन की मॉनिटरिंग और समुदाय को वितरण से पहले पर्यावरणीय स्वीकृतियों, प्रचालन सहमति और अन्य लागू पर्यावरणीय विनियमों में निर्धारित शर्तों का पालन करना है।

सीआईएल ने अधिशेष खान जल के उपयोग के लिए दिनांक 30.10.2017 को झारखंड सरकार के पेयजल और स्वच्छता विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग, झारखंड सरकार खान परिसर से बाहर खान जल के अवशोधन और वितरण के लिए जिम्मेदार है।
